

[भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

सं. 20/2018-सीमा शुल्क

नई दिल्ली, दिनांक 02 फरवरी, 2018

सा0का0नि0.....(अ)- केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) के साथ पठित वित्त अधिनियम, 1999 (1999 का 27) की धारा 116 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, उक्त वित्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट मालों पर अतिरिक्त सीमाशुल्क से छूट देती है.

(फा.सं. 334/4/2018-टीआरयू)

(रुचि बिष्ट)

अवर सचिव, भारत सरकार